न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी:–डॉ0 रविन्द्र गोस्वामी,I.A.S.

प्रकरण संख्या –26 / 2024 (अपील)

GCMS No.- 2024/84

1. दया कृष्ण पुत्र भीमराज
2. किरण पुत्री भीमराज
3. रश्मि पुत्री भीमराज
4. ज्योति पुत्री भीमराज
5. प्रिया पुत्री भीमराज

निवासीगण ग्राम लालाहेडा तहसील सागोद, जिला कोटा राज0

–अपीलाण्ट.

बनाम

1. रामदेव पुत्र रामनारायण
2. गोरधन पुत्र रामनारायण
3. चौथमल पुत्र रामनारायण

निवासीगण रानपुर, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा राज0

4. द्वारका पुत्री रामनारायण पत्नी बूचीलाल निवासी ग्राम बोंरा तहसील दीगोद, जिला कोटा
5. फूला पुत्री रामनारायण पत्नी छीतरलाल निवासी ग्राम बनियानी, तहसील लाडपुरा जिला कोटा
6. चन्द्रकला पुत्री रामनारायण पत्नी हनुमान निवासी ग्राम बम्बोरी, तहसील दीगोद, जिला कोटा
7. द स्टेट ऑफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

–रेस्पोडेन्ट.

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बनाराजगी इन्तकाल 84 दिनांक 04.01.1974 तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

उपस्थितः–

1. श्री उत्पल शर्मा, अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री ओमप्रकाश प्रजापति, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट
3. पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक–26.11.2024

1. अपील का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम रानपुर में खाता संख्या नया 865 पुराना 653 की आराजी किता–16 की रकबा 4.63 हे0 भूमि रेस्पोडेन्ट 1 लगायत 7 के पिता एवं अपीलान्टगण के नाना स्वर्गीय रामनारायण आत्मज कान्हा के खातेदारी में दर्ज रेकार्ड थी, खातेदार रामनारायण जी का स्वर्गवास होने पर तहसीलदार लाडपुरा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1849 दिनांक 20.7.2021 रामनारायण जी का फौती इन्तकाल वारिसान के नाम स्वीकृत किया गया ।
2. उपरोक्त नामान्तकरण आदेश दिनांक 20.07.2021 की अप्रसन्नता में यह अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दिनांक 12.04.2024 को पेश की गई है कि मृतक खातेदार रामनारायण की मृत पुत्री संतोष बाई जिनका की देहावसान दिनांक 29.3.2008 को हो गया है तथा रामनारायण जी की मृत्यु दिनांक 3.9.2016 को हो गयी थी तथा रामनारायण की मृत्यु के उपरान्त रेस्पोडेन्ट क्रम–1 लगायत 7 के द्वारा अपीलान्ट की माता संतोष बाई जिनकी मृत्यु हो चुकी थी,के तथ्य को छुपाकर अपीलाधीन नामांतरण संख्या 1849 दिनांक 20.7.2021 को अपने पक्ष में तस्दीक करवा लिया है जबकि उक्त नामान्तरकरण में मृत पुत्री के पुत्र अपीलांटगण का भी नाम दर्ज होना चाहिए ।

जिला कलक्टर
कोटा

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी हेतु रजिस्टर्ड सम्मन जारी किये गये । रेस्पोडेन्ट 1 लगायत 6 की ओर से अभिभाषक श्री ओमप्रकाश प्रजापति द्वारा वकालतनामा पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया । वकील रेस्पेडेन्ट द्वारा धारा 5 लिमिटेशन एक्ट एवं धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया । वकील उभयपक्ष उपस्थित । दोनों प्रार्थना पत्रों की बहस अन्तिम बहस के साथ ही वकील उभयपक्ष की सुनी गई ।

4. वकील अपीलांट द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलान्ट की माता स्वर्गीय संतोष बाई, मृतक रामनारायण जी की पुत्री है तथा उनकी प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारणी थी, जिसका कि जन्म से ही अपीलाधीन भूमि पर हित व स्वत्व निहित था तथा संतोष बाई की मृत्यु के उपरान्त अपीलान्टगण का उपरोक्त भूमि हित व स्वत्व संतोष बाई के हिस्से तक निहित हो गया है उपरोक्त महत्वूर्ण तथ्य को छुपाकर रेस्पोडेन्टगण द्वारा अपीलाधीन नामांतरकण तस्दीक करवा लिया, इस कारण से अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन नामांतरण को निरस्त किया जावें । अपीलान्ट की माता का जन्म एवं रेस्पोडेन्ट कम–1 लगायत 7 का जन्म भी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू होने के पश्चात हुआ है, इस कारण से अपीलान्ट की मां का अपीलाधीन सम्पत्ति सहदायिक के आधार पर अधिकार जन्म से ही प्राप्त हो गये है तथा हिन्दू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम के पश्चात रामनारायण जी की मृत्यु हुयी है, इस कारण से अपीलान्ट की माता स्वर्गीय संतोष बाई के हिस्से तक का नामांतरकरण अपीलान्टगण के पक्ष में तस्दीक होना आवश्यक था इस महत्वपूर्ण तथ्य को छुपा करके उक्त नामांतरण तस्दीक करवाया गया है जो काबिल निरस्तनीय है । अपीलाधीन नामांतरण रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 7 द्वारा रेस्पोडेन्ट कम 8 से मिली भगत करके तथा संतोश्ज्ञ बाई की मृत्यु के महत्वपूर्ण तथ्य को छुपाते हुए अपीलाधीन नामंतरण तस्दीक करवाया है जो काबिल निरस्तनीय है । अपीलाधीन नामांतरण की सर्वप्रथम जानकारी अपीलान्टगण को रेस्पोडेन्ट कम 3 की पुत्री के विवाह समारोह में दिनांक 7.3.2024 को प्राप्त हुयी, इस पर अपीलान्ट द्वारा अविलम्ब रूप से तहसीलदार के समक्ष एक प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर तहसीलदार द्वारा कोई कार्यवाही नही की गयी तब अपीलान्ट द्वारा अपीलाधीन नामांतरकरण की नकल दिनांक 8.4.2024 को प्राप्त कर अन्दर मियाद अपील पेश की है । वकील अपीलान्ट द्वारा अपील के समर्थन में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कथन किया है कि हिन्दू कुटुम्ब में किसी सहदायिक की पुत्री के क्या अधिकार एवं दायित्व होंगे उक्त संशोधन सन 2005 के बाद प्रभाव में आया है । अपीलान्ट की माता की मृत्यु 2008 में हुयी है अर्थात 2005 के संशोधन के उपरान्त इस कारण से अपीलान्ट की माता का अपने पिता की सम्पत्ति में पुत्रों के समान अधिकार है । तथा धारा 6(3) (ख) के अनुसार अपीलांट का उसकी मां के अधिकार में अधिकार है । इस सम्बन्ध में आरआरडी–2009 कमला बनाम गणेश में अभिथ्नर्धारित किया है कि सन 2005 के संशोधन से पत्रीयों का अधिकार प्राप्त होते है । इस सम्बन्ध में 2022(1) सीजे सिविल पेज नम्बर–126 प्रस्तुत की गई है जिसमें निर्वसिती की मृत्यु होने से जो सम्पत्ति सहदायगी विभाजन में प्राप्त की गयी है या सम्पत्ति पारिवारिक है तो उत्तराधिकार द्वारा न्यागत होगी न कि उत्तरजीविता के आधार पर ऐसे हिन्दु पुरूष की पुत्री अन्य समानान्तर लोगों के मुकाबले प्राथमिकता से सम्पत्ति में विरासत प्राप्त करने की अधिकारी होगी । इस प्रकार अन्य न्यायिक दृष्टान्त 2023(1) आरआरटी पेज नम्बर–648, आर.बी.जे 217 पेज नम्बर–10, आर.बी.जे. 1016 सुपिक्रम कोर्ट पेज नम्बर–1 प्रकाश बनाम पुवती में धारा 6 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में अमेन्डमेन्ट को निर्धारित किया तथा यह भी निर्धारित किया कि 9 सितम्बर 2005 के बाद धारा 6 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन लागू होगा यहां पर अपीलान्ट की माता की मृत्यु सन 2008 में हुयी है तथा अपीलान्ट के नाना की मृत्यु सन 2016 में हुयी है इस कारण से संशोधन के उपरान्त अपीलान्ट की माता का हिस्सा अपीलाधीन भूमि में अपने भाईयों के समान ही होगा । मियाद के सम्बन्ध में आरआरटी 2018–19 सप्लीमेन्ट्री पेज–145, आरआरडी 2001 पेज नम्बर–65 साहो बनाम शिम्बू, प्रस्तुत करते हुए कथन किया है कि कानूनी नजीरों के प्रकाश में प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सम्पूर्ण जांच एवं जवाब देही का अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण को रिमाण्ड किया

जिला कलक्टर
कोटा

जावें तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश नामांतरण नम्बर 1849 दिनांक 20.7.2021 को निरस्त करते किया जावें ।

5. वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया है कि अपीलान्ट द्वारा स्वर्गीय रामनारायण जी के मृतक पुत्री सन्तोष बाई के वारिसान बताकर यह अपील लगभग 4 साल बाद पेश की गई है जो गलत असत्य व झूंठे तथ्यों पर आधारित पेश की है । अपीलान्टा की माता संतोष बाई ना होकर केला बाई है तथा संतोष बाई के कोई ओलाद पैदा नहीं हुई थी तथा अपीलान्ट हिन्दू उत्तराधिकार के तहत स्वर्गीय रामनारायण जी के वारिस नहीं है इस कारण उक्त भूमि में उनका कोई हक अधिकार निहित नहीं है । संतोष बाई की मृत्यु शादी के दुसरे साल ही हो गई थी जिसके कोई ओलाद पैदा नहीं हुई थी सन्तोष बाई की मृत्यु के बाद अपीलान्ट के पिता भीमराज द्वारा दुसरी शादी केलाबाई पुत्री गोपीलाल जाति कुम्हार निवासी मेशना तहसील दीगोद हाल निवासी सुल्तानपुर से दुसरी शादी करने के पश्चात अपीलान्ट का जन्म हुआ है । अपीलान्ट स्वर्गीय रामनारायण जी के वारिस नहीं है जो किसी भी प्रकार से अपीलान्ट को अपीलाधीन इन्तकाल संख्या 1849 दिनांक 20.7.2021 रेस्पोडेन्ट कम 8 द्वारा पूर्ण रूप से जांच तहकीकात करके स्वर्गीय रामनारायण जी के समस्त लडके लडकियों व वारिसानों का नाम दर्ज किया गया है, अपीलान्ट संतोष बाई के पुत्र व पुत्री पैदा नहीं हुई है । अपीलान्ट सन्तोष बाई की जगह दुसरी शादी से कैला बाई से पैदा हुए है । इसी कारण उनका नाम इन्तकाल में दर्ज नहीं किया गया है व गलत व असत्य तथ्यों पर आधारित अपीलान्ट द्वारा अपने पिता की पूर्व मृत पत्नि संतोष बाई के गलत रूप से वारिस बनकर रेस्पोडेन्ट को तंग व परेशान करने की गरज से अपने पारिवारिक रंजिश की वजह से बिल्कुल यह झूंठी कार्यवाही की गई है तथा केलाबाई को जो अपीलान्ट की माता है अपनी दुसरी मृतक पत्नि की बहनों की तरह आदर सम्मान नहीं देने के कारण यह झूंठी कार्यवाही पेश की गई है । झूंठी कार्यवाही अपीलान्ट को तंग व परेशान करने की गरज से व जमीन को हडप करने की वजह से की गई है जबकि अपीलान्ट को अपीलाधीन इन्तकाल की जानकारी इन्तकाल दर्ज होने की तारीख से शुरू से ही थी जो कि रंजिश वश गलत तथ्यों के आधार पर पेश की गई है तथा प्रार्थना पत्र धारा 5 लिमिटेशन का पर्याप्त कारण नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है इन्तकाल की अपील में पक्षकारों के अधिकार तय नहीं किये जा सकते है तथा पक्षकारों के अधिकार तय करने के लिए नियमित वाद प्रस्तुत करना आवश्यक होता है इसी कारण उक्त अपील खारिज किये जाने योग्य है ।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा का इन्तकाल नम्बर 1849 दिनांक 20.7.2021 की अप्रसन्नता में यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 12.04.2024 को पेश की गई है जो 2 वर्ष 8 माह विलम्ब से पेश की है, जो मियाद बाहर है, मियाद के शमन के लिए धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा धारा 5 के प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया है, तथा मियाद के सम्बन्ध में आपत्ति प्रस्तुत की गई है, जबकि अपीलान्ट का कथन है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण की उन्हें कोई जानकारी नहीं थी किन्तु रेस्पो0 कम 3 चौथमल की पुत्री के विवाह समारोह में द्वारका बाई जो कि प्रार्थीगण की मोसी के द्वारा दिनांक 7.3.2024 को बताने पर होना बताया है । हमने मियाद के बिन्दु पर उभयपक्ष की बहस पर मनन किया, वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील में गुणावगुण पर विवेचन का बिन्दु निहित होने से केवल अपील को मियाद के तकनीकि बिन्दु पर ही खारिज किया जाना उचित नहीं होने से मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील गुणावगुण पर निर्णय हेतु अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जाकर अपील अन्दर अवधि मानी जाती है ।

7. वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र का भी जवाब प्रस्तुत करते हुए आपत्ति की गई है कि अपीलान्टगण खातेदार रामनारायण की पुत्री संतोष के पुत्र पुत्री नहीं है क्योंकि संतोष बाई की मृत्यु विवाह के दुसरे साल ही हो गई थी, इस कारण अपीलान्टगण संतोष के पुत्र पुत्री नहीं होने से तथा अपील प्रस्तुत करने के लिए प्रभावी पक्षकार नहीं होने से अपील खारिज करने हेतु निवेदन किया है । इस सम्बन्ध में वकील अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ तहसीलदार लाडपुरा को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते इन्तकाल सही तस्दीक किये जाने के साथ शपथ पत्र मय सजरा एवं

प्रधानाध्यापक राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें संतोष बाई की जन्म दिनांक 8.5.1971 होना जाहिर आया है । तथा सन्तोष बाई का मृत्यु प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया है जिसमें मृत्यु दिनांक 29.3.2008 को होना जाहिर होता है, इस प्रकार सन्तोष बाई की मृत्यु के समय उम्र 36 वर्ष 10 माह 21 दिन होती है, रेस्पोडेन्ट का कथन है कि सन्तोष की मृत्यु शादी के दुसरे सात ही हो गई थी, जिस अनुसार सन्तोष का विवाह 34–35 वर्ष की उम्र में होना रेस्पोडेन्ट मानते है जो मानने योग्य नहीं है, इसके साथ ही अपीलान्ट द्वारा ग्राम पंचायत मण्डाप द्वारा जारी वारिसान प्रमाण पत्र दिनांक 23.9.2016 को जारीसुदा की फोटो प्रति प्रस्तुत की गई है जिस अनुसार अपीलान्टगण सन्तोष बाई के पुत्र पुत्री वारिसान होना बताया गया है । इस प्रकार हम यह पाते है कि अपीलान्टगण अपीलाधीन नामान्तरकरण की अपील प्रस्तुत करने के लिए प्रभावी पक्षकार होने से धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है ।

8. विदवान अभिभाषक अपीलाट का मुख्य तर्क है कि अपीलांटगण मृतक खातेदार रामनारायण जी की पुत्री संतोष बाई के पुत्र पुत्रीयां होकर विधिक वारिसान है । संतोष बाई की मृत्यु वर्ष 2008 में हुई थी, तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 में अमेंडमेन्ट को माननीय सुप्रिम कोर्ट के न्यायिक निर्णय आर बी जे 1016 पेज नम्बर–1 अनुसार निर्धारित किया जाकर 9 सितम्बर 2005 के बाद से पुत्रियों का पिता की सम्पत्ति मे पुत्रों के अनुसार ही अधिकार तय किये गय है, वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत तर्क एवं न्यायिक निर्णय इस प्रकरण में लागू होते है । अपीलाधीन नामान्तरकरण में खातेदार रामनारायण जी के 2016 में फौत होने पर अपीलांटगण की माता संतोष बाई के अधिकार में अपीलांटगण का अधिकार नहीं मानते हुए नाम दर्ज नहीं किया गया है । इसके विपरीत वकील रेस्पोडेन्ट का प्रस्तुत अपील के सम्बन्ध में आपत्ति है कि अपीलांटगण संतोष बाई के पुत्र पत्रीयां नहीं होने एवं संतोष बाई की मृत्यु शादी के दुसरे साल ही होने से कोई पुत्र पुत्री नहीं होने का कथन अंकित करते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलान्टगण के पिता भीमराज द्वारा दुसरी शादी केलाबाई पुत्री गोपीलाल जाति कुम्हार से की जाने से अपीलान्टगण का जन्म केलाबाई से होना बताया है । इसके खण्डन मे वकील अपीलान्ट द्वारा अपील में संलग्न वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत मंडाप पंचायत समिति सांगोद से दिनांक 23.9.2016 को जारीसुदा की फोटो प्रति प्रस्तुत की है जिस अनुसार अपीलांटगण संतोष बाई पति भीमराज के पुत्र पुत्री होना अंकित है किन्तु यह दस्तावेज अपीलांटगण संतोष बाई के पुत्र पुत्री होने का विधिकरूप से ठोस एवं पर्याप्त दस्तावेज नहीं माना जा सकता है इसके लिए विस्तृत जांच आवश्यक है । उभयपक्षों के प्रस्तुत तर्क एवं कानूनी बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए हम यह पाते है कि अपीलांटगण प्रभावी पक्षकार होने से अपील प्रस्तुत करने का अधिकार रखते है तथा माननीय सुप्रिम कोर्ट के न्यायिक निर्णय आर बी जे 1016 पेज नम्बर–1 अनुसार संतोष बाई का रामनारायण जी के फौती इन्तकाल में अधिकार होने से संतोष बाई के पुत्र पुत्रीयां का भी अधिकार बनता है । ऐसी स्थिति में अपीलांटगण संतोष बाई के पुत्र पुत्रीयां होने की पुष्टि में विस्तृत जांच की जावश्यकता होने से प्रकरण तहसीलदार लाडपुरा को रिमाण्ड किया जाना उचित पाते है ।

9. उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1849 दिनांक 20.7.2021 निरस्त किया जाकर तहसीलदार लाडपुरा को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाकर आदेश दिये जाते है कि अपीलांटगण की माता एवं मृत खातेदार रामनारायण की मृतक पुत्री संतोष बाई के वारिसान होने की विधिवत जांच करते हुए विधि अनुरूप नवीन आदेश पारित करें ।

10. निर्णय आज दिनांक 26.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर कोटा
जिला कलक्टर
कोटा